REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1590]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 6, 2017/ज्येष्ठ 16, 1939
No. 1590]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 6, 2017/JYAISTHA 16, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2017

का. आ. 1796(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त

अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूपी स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण	
	राजमार्ग संख्या		
(1)	(2)	(3)	
398	136	तमिलनाडु राज्य में तंजावुर के निकट रारा-36 के साथ अपने जंक्शन से प्रांरभ होकर तिरुवैयरु,	
		कुन्नम, पेरली, पैरंबलूर बाइपास नाडुवलुर, तोडावूर, कृष्णापुरम, वीपांथाट्टई को जोड़ने वाला और	
		अथूर बाइपास पर रारा-79 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।	
399	179ए	तमिलनाडु राज्य में सलेम के निकट रारा-79 के साथ अपने जंक्शन से प्रांरभ होकर	
		अयोथियापट्टीनम, पाप्पीरेड्डीपट्टी, हरूर, उथांगरई, तिरुपथुर को जोड़ने वाला और वेनीयामबड़ी के	
		निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।	

[फा. सं. एनएच-14012/20/2016-पीएंडएम (पार्ट-3)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पणी : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 1180, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इसमें पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1373 (अ), दिनांकित 1 मई, 2017 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2017

S.O. 1796 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
398	136	The highway starting from its junction with NH-36 near Thanjavur connecting Thiruvaiyaru, Kunnam, Pereli, Perambalur bypass Naduvalur, Thodavur, Krishnapuram, Veepanthattai and terminating its junction NH-79 at Athoor bypass in the state of Tamil Nadu.
399	179A	The highway starting from its junction with NH No. 79 near Salem connecting Ayothiapattinam, Pappireddipatti, Harur, Uthangarai, Thirupathur and terminating its junction with NH-48 near Vaniyambadi in the state of Tamil Nadu.

[F. No. NH-14012/20/2016 -P&M (pt-3)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification No. 1373(E) dated 1st May, 2017.